झारखण्ड सरकार
भविष्य निधि निदेशालय
योजना-सह-वित्त विभाग

पत्रांक-जी.पी.एफ.-43-188/2018...748/भ0नि0 दिनांक - 16.05.19

प्रेषक,

डा० माधव भा०प्र०से०,
निदेशक,
भविष्य निधि निदेशालय,
योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / प्रमंडलीय आयुक्त / उपायुक्त / विभागाध्यक्ष / पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राज्य ।

विषय - अंशदायी पेंशन योजना (सी०पी०एस०/एन०पी०एस०) के अंतर्गत PRAN खाता में जमा राशि में से आंशिक प्रत्याहरण (Partial Withdrawal) के संबंध में ।

प्रसंग - भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड का पत्रांक 129/भ.नि. दिनांक 30.01.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि पी०एफ०आर०डी०ए० के परिपत्र दिनांक 10.01.2018 के द्वारा एन०पी०एस० अंशधारकों को एन०पी०एस० में योगदान के तीन वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् आंशिक प्रत्याहरण (निकासी) अनुमान्य किया गया है । तद्नुसार झारखण्ड राज्य के एन०पी०एस० अंशधारकों को भी तीन (03) वर्षों की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् अपने प्रेन(PRAN) खाता में संचित कर्मी अंशदान की राशि के विरूद्ध आंशिक प्रत्याहरण (निकासी) अनुमान्य है ।

2. पूर्व में निर्गत भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड के प्रासंगिक पत्र की कंडिका (2) को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन
(डा० माधव)
निदेशक,
भविष्य निधि निदेशालय
योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक-जी.पी.एफ.-43-188/2018...748/भ0नि0 दिनांक - 16.05.19...

प्रतिलिपि - सभी कोषागार पदाधिकारी / उप-कोषागार पदाधिकारी / जिला भविष्य निधि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

निदेशक
भविष्य निधि निदेशालय
योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक-जी.पी.एफ.-43-188/18......748/भ०नि०..... दिनांक -...16.05.19.....

प्रतिलिपि - नोडल पदाधिकारी, पी०एम०यू० कोषांग, योजना-सह-वित्त विभाग (प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

16/5/19

निदेशक
भविष्य निधि निदेशालय,
योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

(1) 22

झारखण्ड सरकार
भविष्य निधि निदेशालय
योजना-सह-वित्त विभाग

पत्रांक-जी.पी.एफ.-43-188/18.........129/अ० नि० रॉंची, दिनांक -30.01.2019.

S.O.(ME)

प्रेषक,

चितरंजन कुमार,
निदेशक,
भविष्य निधि निदेशालय,
योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉंची

2716
29/06/2020
25/06/2020
R.S.

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव /
प्रमंडलीय आयुक्त / उपायुक्त / विभागाध्यक्ष / पुलिस महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राज्य ।

विषय - अंशदायी पेंशन योजना (सी०पी०एस०/एन०पी०एस०) के अंतर्गत PRAN खाता में जमा राशि में से आंशिक प्रत्याहरण (Partial Withdrawal) के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्गत अधिसूचना में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण विनियम 2015 के प्रावधानों के आलोक में झारखण्ड राज्य के एन०पी०एस० कर्मियों को भी अपने PRAN खाता में संचित कर्मी अंशदान की राशि के विरुद्ध आंशिक प्रत्याहरण (निकासी) अनुमान्य है ।

(2) उक्त आंशिक निकासी एन०पी०एस० के अंतर्गत दस (10) वर्षों की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् संपूर्ण सेवाकाल में पाँच वर्षों के अंतराल पर अधिकतम तीन (03) बार पी०एफ०आर०डी०ए० द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों एवं सीमाओं के अधीन अनुज्ञेय होगी ।

(3) उक्तानुसार आंशिक निकासी हेतु सी०आर०ए०-एन०एस०डी० एल० के वेबसाईट www.npscra.nsdl.co.in पर संबंधित अंशधारकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते हुए इसकी हार्डकॉपी आवश्यक कागजातों यथा-बैंक खाता का प्रमाण हेतु Cancel Cheque की प्रति, निकासी का प्रयोजन हेतु प्रमाणक साक्ष्य आदि सहित संबंधित कोषागार / उप-कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, रॉंची को प्राप्त कराया जायेगा ।

(4) भविष्य निधि निदेशालय के स्तर पर आवश्यक जाँचोपरांत ऑनलाईन verification एवं authorization के पश्चात् संपूर्ण कागजात सी०आर०ए०-एन०एस०डी० एल० को प्रेषित किया जायेगा ।

(5) तदोपरांत आवेदित राशि सी०आर०ए० के स्तर से संबंधित अंशधारक के बैंक खाता में ऑनलाईन स्थानांतरित किया जायेगा ।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों तथा अंशदायी पेंशन योजना के कर्मियों को तदनुसार सूचित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

30/1/19
(चितरंजन कुमार)
निदेशक
भविष्य निधि निदेशालय,
योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉंची
कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक-जी.पी.एफ.-43-188/18....129/आ०नि०   दिनांक -...30.01.2019...

प्रतिलिपि - सभी कोषागार पदाधिकारी / उप-कोषागार पदाधिकारी /सभी भविष्य निधि पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
30/1/19

निदेशक
भविष्य निधि निदेशालय,
योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड,

ज्ञापांक-जी.पी.एफ.-43-188/18...129/आ०नि०   दिनांक -...30.01.2019...

प्रतिलिपि - नोडल पदाधिकारी, पी[illegible] कोषांग योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड क[illegible] प्रेषित ।

ह०/-
30/1/19

निदेशक
भविष्य निधि निदेशालय,
योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड,